getting pension but others are not getting. I urge upon the Government to redress the situation. Thank you, Sir.

Demand to lower age limit for civil services examination

SHRI K.J. ALPHONS (Rajasthan): Sir, Civil Service Examinations are one of the toughest examinations in the world. Approximately, 1.5 million candidates appear in the examination and only about 100 get selected to the IAS. The upper age limit for appearing in the examination was increased to 32 years for general category, 35 for OBC and 37 for SC/ST candidates. At that age selected candidates are un-trainable, as they come with a huge baggage. Civil Service needs people with a backbone, committed to the country. It is difficult to instill these qualities at such an advanced age. Therefore, upper age limit may be reduced to 26, with appropriate concessions to OBC and SC/ ST candidates, in a phased manner.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Motilal Vora; not present. Now, Shri Ram Shakal.

Demand to arrange funds and speedy completion of Kanhar Irrigation Project in Sonbhadra, Uttar Pradesh

श्री राम शकल (नाम-निर्देशित): उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान विलम्ब से चल रही कनहर सिंचाई परियोजना की ओर दिलाना चाहता हूं। इस परियोजना को पूर्ण करने हेतु विगत 30 वर्षों से निर्माण कार्य चल रहा है, किंतु अभी तक इस परियोजना का कार्य पूर्ण नही हुआ है। यह परियोजना जनपद सोनभद्र, उत्तर प्रदेश के कनहर नदी पर निर्माणाधीन है, कनहर सिंचाई परियोजना से सोनभद्र, उत्तर प्रदेश के साथ-साथ सीमा से लगे हुए प्रांत छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले तथा झारखंड के पलामू जिले के किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। हज़ारों किसानों के खेतों को सिंचाई का लाभ मिलेगा।

अत: आपके माध्यम से मैं जल शक्ति मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उक्त परियोजना पर धन उपलब्ध कराकर निर्माण कार्य अतिशीघ्र पूर्ण कराने का कष्ट करें जिससे किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सके।

Demand to provide medical facility to the passengers in long distance trains

श्री उपसभापति: माननीय सुखराम सिंह जी, आप पढ़ेंगे या lay करना चाहेंगे।

चौधरी सुखराम सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं पढ़ देता हूं। महोदय, रेल यात्रियों के लिए लम्बी दूरी की ट्रेनों में पहले डॉक्टर की व्यवस्था हुआ करती थी, पर वर्तमान में यह व्यवस्था नही है। किसी रेल यात्री की यदि तबियत खराब हो जाती है, तो उसे कोच कंडक्टर या टीटी को सूचित करना होता है और फिर वह रेल कर्मचारी रेलवे कंट्रोल रूम को सूचित करता है,

उसके बाद अगले रेलवे स्टेशन पर डॉक्टर की व्यवस्था की जाती है। साथ ही ट्रेनों में उद्घोषणा की जाती है कि फलां कोच में यात्री की तबियत खराब है, यदि कोई डॉक्टर यात्रा कर रहा है तो कृपया मरीज के इलाज हेतु पहुंचे, मरीज के भाग्य पर निर्भर करता है कि ट्रेन में डॉक्टर यात्रा कर रहा है या नही ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ अत्यधिक रहती है, अचानक यात्री की तबियत बिगड़ने पर अगले स्टेशन पर इलाज की वर्तमान व्यवस्था ठीक नही है।

अभी पिछले माह जून में केरल एक्सप्रेस ट्रैन में यात्रा कर रहे 4 यात्रियों की गर्मी के कारण तबियत खराब हुई, आगरा रेलवे स्टेशन पहुंचते-पहुंचते उनमें से 3 यात्रियों की ट्रेन में मौत हो गई, चौथी महिला यात्री को आगरा रेलवे स्टेशन पर उतार कर आगरा रेलवे चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उस महिला यात्री की भी मौत हो गई। ट्रेन में यदि डाक्टर की व्यवस्था होती तो इन यात्रियों को समय पर उचित इलाज मिल जाता जिससे उनकी असमय मौत नही होती।

महोदय, सदन के माध्यम से मेरी मांग है कि सुपरफास्ट लम्बी दूरी वाली ट्रेनों में डाक्टर सहित GNM, ANM कर्मचारी की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे तबियत खराब होने पर तत्काल यात्री को इलाज मिल सके, धन्यवाद।

Demand to improve the condition of handloom weavers and handicraft artisans

SHRI PRASHANTA NANDA (Odisha): Sir, handlooms and handicrafts have always been a vital part of Indian economy. It is the second largest employment sector after agriculture and provides both livelihood and clothing to millions of people, especially in the rural areas. Unfortunately, as India industrializes these weavers and their skill sets have been largely left out of the development process. Their expertise, and the investments required to help them reach their potential have been neglected Like other sectors of the economy, they require finance, IT knowhow, access to appropriate raw material, technology and contemporary design. They need adequate storage and marketing facilities. More and more, weavers are leaving the sector every year, an estimated 15 per cent every decade. I would urge upon the Government to stop illegal production of handloom reserved items by powerlooms and selling in the domestic market in the name of handloom sarees, lungis, dhotis, etc. I also urge upon the Government for allocation of handloom and handicrafts community under PMAY Housing Programme by the Ministry of Rural Development, Government of India and also to allocate work sheds for North-Eastern States' handloom and handicraft artisans. How many States are implementing Rashtriya Swasthya Bima Yojna Scheme for handloom weavers and handicraft artisans till now? Experts are increasing every year in these sectors. The Government of India should ensure regular employment for rural poor weavers and artisans.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Sanjay Sinh; not present. Now, Shri Rajmani Patel.